## MAINS MATRIX

TABLE OF CONENT

1. "न्यायपालिका राष्ट्रपति और राज्यपाल को समयसीमा बाँध नहीं सकती: सुप्रीम कोर्ट"
2. भारत का मत्स्य एवं जलीय कृषि क्षेत्र: इसकी आशाजनक प्रगति
3. 'कर्मचारी की कमी के बीच किशोर न्याय बोर्डों में 50% से अधिक मामले लंबित'
4.क्या एक-दलीय प्रभुत्व के दौर में भारतीय संघवाद पीछे हट रहा है?
5. "बिहार के सरकारी स्कूलों में जाति पहचान शिक्षकों के मूल्यांकन को प्रभावित करती है: IIM-बैंगलुरु अध्ययन

## "न्यायपालिका राष्ट्रपति और राज्यपाल को समयसीमा बाँध नहीं सकती: सुप्रीम कोर्ट"

**पृष्ठभूमि (Context)**

एक पाँच-न्यायाधीशीय संविधान पीठ ने **16वीं राष्ट्रपति संदर्भ (Presidential Reference)** पर अपनी सलाह (advisory opinion) दी।

**मुख्य प्रश्न:**
क्या न्यायालय राज्यपाल/राष्ट्रपति को राज्य विधेयकों पर निर्णय (अनुमोदन/अस्वीकृति) देने के लिए समयसीमा तय कर सकता है?

**क्यों उठा मुद्दा?**

- तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर लगातार देरी
- अप्रैल 2024 के सुप्रीम कोर्ट निर्णय में तय 3 महीने की समयसीमा को लेकर विवाद

—

**3. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य निष्कर्ष**

**A. न्यायिक शक्ति की सीमाएँ**

- न्यायालय **राज्यपाल या राष्ट्रपति पर कठोर समयसीमा** लागू नहीं कर सकते।
- न्यायालय **"deemed assent" (अनुमानित अनुमोदन)** का सिद्धांत नहीं बना सकता।
- यह संविधान की *मूल संरचना — शक्तियों के पृथक्करण —* के विरुद्ध है।

—

**B. अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की शक्तियाँ**

राज्यपाल के पास 3 विकल्प होते हैं:

1. **विधेयक को मंजूरी देना (Assent)**
2. **विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजना (Reserve)**
3. **मंजूरी रोककर विधेयक को टिप्पणियों सहित वापस भेजना** (यदि यह मनी बिल नहीं है)

**राज्यपाल क्या नहीं कर सकते:**

- बिना कारण बताए विधेयक को रोककर रखना (यदि मनी बिल नहीं है)।
- अनिश्चितकाल तक बिना सूचना के बैठकर देरी करना।

—

**C. राष्ट्रपति की भूमिका (अनुच्छेद 201 और 143)**

- राष्ट्रपति, राज्यपाल द्वारा भेजे जाने पर **केंद्र सरकार की सलाह** पर निर्णय लेते हैं।
- हर बार सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना आवश्यक नहीं है; यह केंद्र सरकार का विवेक है।

—

**D. न्यायिक समीक्षा की सीमाएँ**

- राज्यपाल के निर्णय के *गुण-दोष* की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता।
- परंतु न्यायालय **सीमित हस्तक्षेप (limited mandamus)** कर सकता है यदि:
    - अत्यधिक, अस्पष्ट और अनिश्चित विलंब किया जाए, या
    - जानबूझकर निष्क्रियता प्रदर्शित की जाए।

यह संवैधानिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए है, न कि राज्यपाल के विवेक में हस्तक्षेप के लिए।

—

**4. प्रमुख न्यायिक टिप्पणियाँ**

**A. शक्तियों के पृथक्करण पर**

- "समयसीमा थोपना संविधान की संरचना को बिगाड़ने वाला *एक जैसा समाधान* है।"
- न्यायपालिका संवैधानिक अधिकारियों की भूमिका नहीं ले सकती।

**B. राज्यपाल की जवाबदेही**

- राज्यपाल अनिश्चितकाल तक विधेयक लंबित नहीं रख सकते।
- उन्हें **उचित समय** में निर्णय लेना होगा।
- परंतु अनुच्छेद 361 के तहत उन्हें व्यक्तिगत प्रतिरक्षा प्राप्त है।

**C. विधायी प्रक्रिया पर**

- जनता की इच्छा विधायिका के माध्यम से व्यक्त होती है।
- विधेयक तब तक कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति/राज्यपाल की मंजूरी न मिले।
- मंजूरी से पहले न्यायपालिका विधेयक की सामग्री पर निर्णय नहीं दे सकती।

---

**5. सुप्रीम कोर्ट की सलाह का सार (तालिका में)**

**राज्यपाल का विवेक (अनु. 200)**

- मंजूरी दे सकते हैं
- राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं
- वापस भेज सकते हैं (यदि मनी बिल नहीं)
- कारण बताना अनिवार्य

**न्यायिक सीमाएँ**

- समयसीमा लागू नहीं कर सकते
- "deemed assent" नहीं बनाया जा सकता

**राष्ट्रपति की भूमिका (अनु. 201)**

- केंद्र सरकार की सलाह पर कार्य
- हर बार SC से सलाह लेना आवश्यक नहीं

**राज्यपाल की जवाबदेही**

- अनिश्चित देरी नहीं कर सकते
- न्यायालय "उचित समय" में निर्णय देने का निर्देश दे सकता है
- सीमित न्यायिक समीक्षा संभव

---

**6. राज्यों ने क्यों विरोध किया?**

गैर-भाजपा शासित राज्य (जैसे TN, केरल) का तर्क:

- यह राष्ट्रपति संदर्भ वास्तव में **अपील जैसा** है।
- अप्रैल 2024 के सुप्रीम कोर्ट निर्णय को पुनः खोलना **न्यायिक अंतिमता** के खिलाफ है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस आपत्ति को खारिज कर दिया।

---

**7. सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निष्कर्ष**

- राष्ट्रपति/राज्यपाल पर **कोई बाध्यकारी समयसीमा नहीं**।
- **Deemed assent नहीं**।
- परंतु **अनावश्यक, टालमटोल और लंबी देरी स्वीकार्य नहीं**।
- न्यायपालिका केवल **संवैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित** कर सकती है, न कि यह निर्देश दे सकती है कि निर्णय कैसे लिया जाए।

---

**HOW TO USE IT**

यह सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी राय एक **सूक्ष्म संवैधानिक संतुलन** प्रस्तुत करती है। यह न्यायालय द्वारा राज्यपाल के कार्यालय पर न्यायिक समय-सीमा थोपने से इनकार करते हुए **शक्तियों के पृथक्करण (Separation of**

**Powers)** को दृढ़ता से बनाए रखती है, और साथ ही यह भी स्पष्ट करती है कि राज्यपाल **"लंबी, अस्पष्ट और अनिश्चित देरी"** नहीं कर सकते—जो **संवैधानिक नैतिकता (Constitutional Morality)** का महत्वपूर्ण तत्व है। यह एक संतुलित निर्णय है जो **प्रक्रियागत कठोरता** के बजाय **संवैधानिक सिद्धांतों को प्राथमिकता** देता है।

**प्राथमिक प्रासंगिकता: GS Paper II (Polity, Constitution, Governance)**

**1. भारतीय संविधान—ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विकास, विशेषताएँ, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी ढाँचा**

**कैसे उपयोग करें:**

निर्णय में प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या का विश्लेषण करें।

**मुख्य बिंदु**

**अनुच्छेद 200 और 201**

• निर्णय ने इन अनुच्छेदों की समकालीन और स्पष्ट व्याख्या प्रदान की है।

• स्पष्ट किया गया कि राज्यपाल का विवेक **असीमित नहीं**, बल्कि **संवैधानिक मर्यादाओं** से बंधा हुआ है।

• राज्यपाल के तीन विकल्प—**मंजूरी, आरक्षण, पुनर्विचार हेतु वापसी**—ही **अंतिम और संपूर्ण** विकल्प हैं।

**शक्तियों का पृथक्करण (Separation of Powers)**

• यह निर्णय का केंद्रीय सिद्धांत है।

• न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल के कार्यों के लिए समय-सीमा तय करना न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका व राज्य विधायिका के क्षेत्र में अतिक्रमण होगा।

**मौलिक संरचना सिद्धांत (Basic Structure)**

• न्यायालय का कर्तव्य है कि कोई भी संवैधानिक प्राधिकारी—राज्यपाल सहित—संविधान की **मौलिक संरचना** (संघवाद, लोकतांत्रिक शासन) का उल्लंघन न करे।

**2. संघ व राज्य के कार्य, संघवाद की चुनौतियाँ, शक्तियों का विकेंद्रीकरण**

**कैसे उपयोग करें:**

यह निर्णय राज्यपालों द्वारा विधायी प्रक्रिया अटकाने की प्रवृत्ति के संदर्भ में **संघवाद की रक्षा** से जुड़ा है।

**मुख्य बिंदु**

**संघीय तनाव (Federal Tension)**

• यह संदर्भ उन घटनाओं से उत्पन्न हुआ जहाँ गैर-भाजपा शासित राज्यों (तमिलनाडु, केरल) में राज्यपालों पर राजनीतिक कारणों से विधेयक रोकने के आरोप लगे।

**राज्यों की स्वायत्तता की रक्षा**

• सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल **अनिश्चितकाल तक बैठकर निर्णय को टाल नहीं सकते** और उन्हें **उचित समय सीमा में कार्य करना ही होगा**।

• यह राज्यों को एक **संवैधानिक सुरक्षा कवच** प्रदान करता है।

**न्यायिक समीक्षा की सीमित लेकिन आवश्यक भूमिका**

• न्यायालय ने कहा कि वह केवल **लंबी और अनुचित देरी** की स्थिति में हस्तक्षेप कर सकता है।

• यह एक महत्त्वपूर्ण **checks and balances** का तंत्र है, ताकि राज्यपाल (जो केंद्र द्वारा नियुक्त होते हैं) चुनी हुई राज्य सरकार को बाधित न करें।

---

**3. शक्तियों का पृथक्करण: विभिन्न अंगों के बीच विवाद समाधान**

**कैसे उपयोग करें:**

यह निर्णय शक्तियों के पृथक्करण का **उत्कृष्ट उदाहरण** है।

**मुख्य बिंदु**

**न्यायिक संयम (Judicial Restraint)**

• न्यायालय ने यह कहते हुए समय-सीमा निर्धारित करने और "deemed assent" जैसी व्यवस्था बनाने से इनकार किया कि यह कार्यपालिका-विधायिका का क्षेत्राधिकार है।

**सीमाओं का निर्धारण**

• न्यायालय ने कहा कि वह **राज्यपाल के निर्णय के गुण-दोष की समीक्षा नहीं करेगा**,

लेकिन यह सुनिश्चित करेगा कि प्रक्रिया—

• अनिश्चित विलंब,

• दुर्भावना (malafide),

• या संवैधानिक दुरुपयोग—से प्रभावित न हो।

---

**4. कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली**

**कैसे उपयोग करें:**

यह राष्ट्रपति और राज्यपाल के व्यावहारिक कार्यों को समझने में सहायक है।

**मुख्य बिंदु**

**राष्ट्रपति की भूमिका (अनुच्छेद 74)**

• निर्णय इस सिद्धांत की पुनः पुष्टि करता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल—अधिकांश मामलों में—**मंत्रिपरिषद की सलाह** पर ही कार्य करते हैं।

**संवैधानिक नैतिकता बनाम संवैधानिक प्रतिरक्षा**

• भले ही अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल को **व्यक्तिगत प्रतिरक्षा** प्राप्त है,

परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वे संवैधानिक दायित्वों की अवहेलना कर सकते हैं।

• निर्णय रेखांकित करता है कि राज्यपाल का पद **संवैधानिक नैतिकता** से बंधा है।

## भारत का मत्स्य एवं जलीय कृषि क्षेत्र: इसकी आशाजनक प्रगति

### 1. भूमिका

मत्स्य पालन और जलीय कृषि भारत के सबसे तेज़ी से विकसित होने वाले खाद्य-उत्पादक क्षेत्रों में से एक बनकर उभरे हैं। यह क्षेत्र आजीविका, पोषण सुरक्षा, निर्यात और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तकनीकी नवाचारों और संस्थागत सहयोग के साथ यह क्षेत्र भारत की **ब्लू इकोनॉमी** को आगे बढ़ाने की बड़ी क्षमता रखता है।

—

### 2. क्षेत्र का महत्व

**आजीविका**

2.8 करोड़ से अधिक मछुआरों और मत्स्य किसानों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष आजीविका प्रदान करता है।

**खाद्य सुरक्षा**

सुलभ पशु प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर आहार उपलब्ध कराता है।

**आर्थिक योगदान**

कृषि GDP का प्रमुख घटक और समुद्री निर्यातों के माध्यम से विदेशी मुद्रा अर्जन का बड़ा स्रोत।

**क्षेत्रीय विकास**

तटीय, नदी तटीय और अंतर्देशीय समुदायों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।

—

### 3. प्रमुख चुनौतियाँ

**A. पर्यावरणीय दबाव**

• अतिशोषण और समुद्री मत्स्य भंडार पर बढ़ता दबाव
• झीलों, मैंग्रोव और मुहाना क्षेत्रों का विनाश
• औद्योगिक अपशिष्ट एवं कृषि अपवाह से जल प्रदूषण
• जलवायु परिवर्तन से समुद्र का गर्म होना और चरम मौसम घटनाएँ

**B. सामाजिक–आर्थिक चुनौतियाँ**

• लघु मत्स्यकर्मियों को ऋण, बीमा और आधुनिक उपकरणों की कमी
• बाजार असमानताएँ और कम मोलभाव क्षमता
• प्रसंस्करण और विपणन चरणों में महिलाओं की संवेदनशीलता

**C. आपूर्ति शृंखला की सीमाएँ**

• कोल्ड चेन अवसंरचना का अभाव और उच्च पश्च-फसल हानि
• ट्रेसेबिलिटी की कमी, जिससे निर्यात प्रतिस्पर्धा प्रभावित
• असुरक्षित हैंडलिंग कार्यप्रणालियाँ, जिससे खाद्य गुणवत्ता पर असर

—

### 4. वर्तमान स्थिति और वृद्धि

**वैश्विक परिप्रेक्ष्य (FAO, 2024)**

• कैप्चर फिशरी: 2.3 करोड़ टन (2022)

• जलीय कृषि: 13.09 करोड़ टन (रिकॉर्ड) — मूल्य 313 अरब USD

**भारत की उपलब्धियाँ**

• कुल जलीय पशु उत्पादन: 10.23 मिलियन टन

• विश्व का **दूसरा सबसे बड़ा** जलीय कृषि उत्पादक

• उत्पादन 1980 के दशक के 2.44 मिलियन टन से बढ़कर 2022–23 में 17.54 मिलियन टन

**जलीय कृषि** इस वृद्धि की मुख्य संचालक शक्ति है, जो आधुनिकीकरण और अंतर्देशीय विस्तार को दर्शाता है।

—

**5. संस्थागत समर्थन और सरकारी पहल**

**A. प्रमुख संस्थाएँ**

• ICAR मत्स्य अनुसंधान संस्थान
• MPEDA
• राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (NFDB)
• तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण

**B. प्रमुख योजनाएँ**

• ब्लू रेवोल्यूशन
• प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)
— अवसंरचना आधुनिकीकरण
— मत्स्यकार सुरक्षा, कल्याण और बीमा
— एक्वा पार्क और कोल्ड चेन निर्माण

**C. प्रमुख सुधार**

• समुद्र में सुरक्षा हेतु आधुनिक पोत सुविधाएँ
• मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड लाभ
• अंतिम छोर तक सेवा के लिए मत्स्य सेवा केंद्र
• जलवायु-सहिष्णु तटीय मत्स्य ग्राम कार्यक्रम
• राष्ट्रीय मत्स्य नीति 2020 (ड्राफ्ट) — स्थिरता और वैल्यू-चेन दक्षता पर जोर

—

**6. भारत में FAO की भूमिका और सहयोग**

**A. बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम (BOBP)**

• छोटे पैमाने के मत्स्य व्यवसाय की तकनीकों में सुधार
• सुरक्षा और प्रसंस्करण का उन्नयन

**B. BOBLME परियोजना**

• पारिस्थितिकी-आधारित मत्स्य प्रबंधन (EAFM) को बढ़ावा
• IUU फिशिंग रोकने के लिए कार्य योजनाएँ

**C. GEF-वित्तपोषित आंध्र प्रदेश परियोजना**

• स्थायी जलीय कृषि (GSA) दिशानिर्देश लागू
• पारिस्थितिकी-आधारित एक्वाकल्चर (EAA)
• जलवायु-सहिष्णु जलीय कृषि पद्धतियाँ

**D. तकनीकी सहयोग कार्यक्रम (TCP)**

• गुजरात के वनककरा और जखाऊ बंदरगाहों का उन्नयन
• क्षमता-विकास, स्वच्छता और स्थिरता पर जोर

—

**7. आगे का मार्ग: स्थिरता और प्रतिस्पर्धात्मकता**

**A. स्थिरता के लिए अनिवार्य कदम**

• वैज्ञानिक स्टॉक आकलन और मत्स्य प्रयास विनियमन

• IUU फिशिंग रोकने हेतु मजबूत निगरानी, नियंत्रण और निरीक्षण (MCS)

• पारिस्थितिकी-आधारित प्रबंधन दृष्टिकोण को बढ़ावा

• जलवायु-सहिष्णु जलीय कृषि तकनीकों को अपनाना

**B. प्रतिस्पर्धा बढ़ाना**

• वैश्विक बाजार के लिए बेहतर प्रमाणन और ट्रेसेबिलिटी

• डिजिटल उपकरणों द्वारा बाजार पहुँच और लॉजिस्टिक्स सुधार

• छोटे मत्स्यकर्मियों और महिलाओं को लाभान्वित करने वाली समावेशी नीतियाँ

**C. FAO की निरंतर प्रतिबद्धता**

• अधिक लचीली और समावेशी ब्लू रेवोल्यूशन के लिए मार्गदर्शन

• पर्यावरणीय प्रभाव कम करते हुए भारत की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना

—

**8. निष्कर्ष**

भारत का मत्स्य और जलीय कृषि क्षेत्र एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। तेज़ विकास, सुदृढ़ नीतियों और विशेषकर FAO के अंतरराष्ट्रीय सहयोग के साथ—भारत एक स्थायी, उत्पादक और समावेशी **ब्लू इकोनॉमी** की ओर संक्रमण के लिए तैयार है।

पर्यावरण संरक्षण, आधुनिकीकरण और समावेशी विकास को प्राथमिकता देना इसके पूर्ण संभावनाओं को खोलने की कुंजी होगा।

**HOW TO USE IT**

**भारत का मत्स्य एवं जलीय कृषि क्षेत्र** भोजन सुरक्षा, आजीविका सृजन और आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण संगम है, जो ब्लू इकोनॉमी पहल के केंद्र में स्थित है। मुख्य चुनौती यह है कि तेज़ उत्पादन वृद्धि को पर्यावरणीय सततता और लाखों छोटे मछुआरों के सामाजिक-आर्थिक न्याय के साथ संतुलित किया जाए।

**मुख्य प्रासंगिकता: जीएस पेपर III (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, सुरक्षा)**

—

**1. भारतीय अर्थव्यवस्था (कृषि, रोजगार, अवसंरचना)**

**उपयोग कैसे करें:** इस क्षेत्र को ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि-निर्यात के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में विश्लेषित करें।

**मुख्य बिंदु:**

- **आर्थिक योगदान:**
  यह क्षेत्र 2.8 करोड़ से अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करता है और भारत के कृषि सकल मूल्य वर्धन (GVA) तथा विदेशी मुद्रा अर्जन में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है।
- **अवसंरचना की कमी:**
  कोल्ड-चेन अवसंरचना की कमी और कटाई के बाद होने वाले नुकसान (post-harvest losses) आपूर्ति-पक्ष की वही चुनौतियाँ हैं जो भारतीय कृषि को व्यापक रूप से प्रभावित करती हैं।
- **सरकारी पहलें:**
  प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) और ब्लू रिवॉल्यूशन जैसी योजनाएँ अवसंरचना आधुनिकीकरण, उत्पादन क्षमता बढ़ाने और मछुआरों के कल्याण सुनिश्चित करने की दिशा में प्रमुख हस्तक्षेप हैं।

**2. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी**

**उपयोग कैसे करें:** इस क्षेत्र की वृद्धि सीधे पर्यावरणीय स्वास्थ्य से जुड़ी है।

**मुख्य बिंदु:**

- **पर्यावरणीय चुनौतियाँ:**
  अव्यवस्थित मछली पकड़ना (overfishing), आवास विनाश (जैसे मैंग्रोव, मुहाने), और जल प्रदूषण समुद्री एवं जलीय पारिस्थितिक तंत्रों के लिए बड़े खतरे हैं। यह जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरणीय क्षरण से सीधे जुड़ता है।
- **जलवायु परिवर्तन:**
  समुद्री तापमान में वृद्धि और चरम मौसमी घटनाएँ मछली भंडार को गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं, जिससे यह क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील हो जाता है।
- **सतत प्रथाएँ:**
  पारिस्थितिकी-आधारित मत्स्य प्रबंधन (EAFM), अवैध, अनियंत्रित एवं अनियमित (IUU) मछली पकड़ने का मुकाबला, और जलवायु-सहिष्णु जलीय कृषि सतत विकास के लिए आवश्यक हैं।

**3. खाद्य सुरक्षा**

**उपयोग कैसे करें:** मत्स्य क्षेत्र को पोषण सुरक्षा के एक स्तंभ के रूप में प्रस्तुत करें।

**मुख्य बिंदु:**

- यह क्षेत्र सस्ती पशु-प्रोटीन और आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करता है, जो कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

**4. सुरक्षा आयाम**

**उपयोग कैसे करें:** मत्स्य प्रबंधन को समुद्री सुरक्षा से जोड़ें।

**मुख्य बिंदु:**

- IUU फिशिंग से निपटना केवल पर्यावरणीय मुद्दा नहीं, बल्कि समुद्री सुरक्षा एवं संप्रभुता का सवाल भी है, क्योंकि इसमें अक्सर विदेशी नौकाएँ शामिल होती हैं।
- मछुआरों के लिए पोत सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा उपाय भी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हैं।

---

**अन्य जीएस पेपर्स से लिंक**

**GS Paper II (शासन व्यवस्था)**

- **नीतियाँ एवं हस्तक्षेप:** MPEDA, NFDB और Coastal Aquaculture Authority जैसी संस्थाएँ इस क्षेत्र की शासन संरचना को प्रदर्शित करती हैं।
- **सामाजिक न्याय एवं कल्याण:** लैंगिक भेद्यता और मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) में शामिल करना—दोनों लक्षित कल्याण और वित्तीय समावेशन के रूप हैं।

---

**GS Paper I (समाज)**

- यह क्षेत्र तटीय और नदी-तटीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक जीवन को आकार देता है और बड़ी आबादी को आजीविका प्रदान करता है।

## 'कर्मचारी की कमी के बीच किशोर न्याय बोर्डों में 50% से अधिक मामले लंबित'

**मुख्य बिंदु:**

- **31 अक्टूबर 2023** तक देशभर के **362 किशोर न्याय बोर्डों (JJBs)** में से आधे से अधिक (55%) मामले लंबित रहे।
- **इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR)** के एक अध्ययन में पाया गया कि JJBs ने **1,00,904 मामलों में से आधे से भी कम** मामलों का निपटान किया।
- लंबित मामलों की दर राज्यों में काफी भिन्न है—**ओडिशा में 83%**, जबकि **कर्नाटक में 35%**।

---

**प्रणालीगत समस्याएँ (Systemic Issues):**

- **कर्मचारियों की कमी:** 24% JJBs पूरी तरह गठित नहीं थे (स्टाफ वैकेंसी)।
- **अपर्याप्त विधिक सहायता:** 30% JJBs में *संलग्न विधिक सेवा केंद्र* उपलब्ध नहीं है।

- **उच्च कार्यभार:**
  प्रत्येक JJB में औसतन **154 मामले प्रति वर्ष** लंबित रहते हैं।
- **डेटा मॉनिटरिंग और फंड्स की कमी।**
- **अंतर-संस्था समन्वय (interagency coordination) और डेटा-शेयरिंग की कमी।**

---

**डेटा पारदर्शिता पर चिंता:**

- रिपोर्ट में सार्वजनिक डेटा साझाकरण और पारदर्शिता की कमजोर संस्कृति को रेखांकित किया गया।
- कई *सूचना के अधिकार (RTI)* अनुरोध **खारिज**, **अनुत्तरित**, या **अन्य अधिकारियों को स्थानांतरित** कर दिए जाते हैं।

---

**न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर की चिंता:**

- सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश **मदन बी. लोकुर** ने किशोर न्याय प्रणाली में मौजूद इन खामियों पर चिंता जताई।
- उन्होंने कहा कि प्रणालीगत कमियाँ बच्चों पर **हानिकारक प्रभाव** डाल रही हैं।

## क्या एक-दलीय प्रभुत्व के दौर में भारतीय संघवाद पीछे हट रहा है?

**1. परिचय**

भारत की संघीय संरचना संविधान, राजनीतिक समझौतों और आर्थिक परिवर्तनों के माध्यम से विकसित हुई है।
हाल के वर्षों में केंद्र और विपक्ष शासित राज्यों के बीच बढ़ता तनाव इस बहस को फिर से जीवित कर रहा है—

**क्या केंद्र स्तर पर एक-दलीय प्रभुत्व के कारण संघवाद कमजोर हो रहा है?**

यह चर्चा इस बात की जांच करती है कि केंद्रीकरण कैसे वित्तीय व्यवस्थाओं, शासन संरचनाओं, राजनीतिक सौदेबाजी और संस्थागत सुधारों में प्रकट होता है।

---

**2. संघवाद का विकास: गठबंधन युग से एक-दलीय शासन तक**

**गठबंधन युग में संघीय assertiveness का उभार (1990–2014)**

- क्षेत्रीय दलों के उदय ने राष्ट्रीय राजनीति का रूप बदला।
- आर्थिक सुधार और संस्थागत पुनर्गठन संघीय चरित्र वाले हुए, जैसे:
  - योजना आयोग का उन्मूलन
  - वित्त आयोग की भूमिका बढ़ना
  - केंद्र–राज्य वार्ताओं के नए मंच

- गठबंधन सरकारों के कारण केंद्र–राज्य सौदेबाजी मजबूत हुई।

**2014 के बाद का बदलाव**

- मजबूत एक-दलीय बहुमत ने केंद्र–राज्य संबंधों को बदल दिया।
- राजनीतिक और वित्तीय केंद्रीकरण के नए उपकरण उभरे।
- क्षेत्रीय दल कमजोर हुए, जिससे संघीय मध्यस्थता की उनकी पारंपरिक भूमिका घट गई।

---

**3. वित्तीय संघवाद पर दबाव: GST और उससे आगे**

**GST एक निर्णायक मोड़**

- राज्यों ने प्रमुख कराधान शक्तियाँ केंद्र को सौंप दीं।
- GST क्षतिपूर्ति पर निर्भरता से उनकी वित्तीय कमजोरी बढ़ी।
- वित्त आयोग की सिफारिशों ने **वर्टिकल फिस्कल असंतुलन** बढ़ाया।
- छोटे और गरीब राज्यों की GST परिषद में सौदेबाजी क्षमता घट गई।

**विकासात्मक स्वायत्तता पर प्रभाव**

- सीमित वित्तीय क्षमता राज्यों के लिए स्थानीय जरूरतों के अनुरूप योजनाएँ बनाना कठिन करती है।
- GST के केंद्रीकरण ने सहकारी संघवाद की भावना को कमजोर किया।

---

**4. पुनर्वितरण, क्षेत्रीय विषमताएँ और वित्तीय राजनीति**

- दक्षिणी राज्यों का तर्क: वे गरीब उत्तरी राज्यों को अनुपात से अधिक सब्सिडी देते हैं।
- लेकिन संविधान अनुसार पुनर्वितरण आवश्यक है।
- उच्च हस्तांतरणों के बावजूद, गरीब राज्यों में औद्योगिकीकरण व रोजगार सृजन कमजोर है।

भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था ऐसी स्थिति बनाती है जहाँ:

**समृद्ध राज्यों की संपत्ति केंद्रीय योजनाओं को चलाने में लगती है, पर पिछड़े क्षेत्रों की संरचनात्मक समस्याएँ हल नहीं होतीं।**

---

**5. केंद्रीकृत प्रायोजित योजनाएँ (CSS) और राज्य स्वायत्तता का क्षरण**

**केंद्रीय योजनाएँ बनाम स्थानीय प्राथमिकताएँ**

- CSS सामाजिक व विकास व्यय का बड़ा हिस्सा नियंत्रित करती हैं।
- उनकी शर्तें, लागत-साझाकरण और खर्च की सीमाएँ राज्यों की नवाचार क्षमता को सीमित करती हैं।

**योजना आयोग के बाद उत्पन्न संस्थागत खालीपन**

- योजना आयोग के हटने से केंद्र–राज्य समन्वय का मजबूत मंच समाप्त हो गया।
- नीति आयोग (NITI Aayog) के पास संघीय सहमति निर्माण की बाध्यकारी शक्ति नहीं है।
- भारत में अन्य संघों की तरह कोई प्रभावी **अंतर-सरकारी निकाय** नहीं है।

---

**6. राजनीतिक प्रभुत्व, दल-प्रणाली और संघीय सौदेबाजी**

**केंद्रीकरण की राजनीतिक परिस्थितियाँ**

गठबंधन युग में क्षेत्रीय दलों की केंद्र सरकार में मजबूत सौदेबाजी शक्ति थी।
अब एक-दलीय प्रभुत्व के साथ:

- केंद्रीय नेतृत्व अधिक राजनीतिक शक्ति集中 करता है।
- प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT), केंद्रीय योजनाएँ और पूँजी प्रवाह केंद्रीकृत नियंत्रण मजबूत करते हैं।
- क्षेत्रीय दलों की संगठनात्मक और आर्थिक शक्ति कम हुई है।

**चुनावी रणनीतियाँ और क्षेत्रीय दलों पर प्रभाव**

- केंद्रीय दलों की राजनीतिक पहुँच बढ़ने से क्षेत्रीय दलों का स्थान संकुचित हुआ।
- कई क्षेत्रीय दल अब गठबंधन पर निर्भर हैं, जिससे उनका संघीय प्रतिरोध कमजोर होता है।

---

**7. उभरते तनाव के मुद्दे: जनगणना, परिसीमन और ONOE**

**परिसीमन (Delimitation)**

- उच्च जनसंख्या वाले उत्तरी राज्यों की सीटें बढ़ सकती हैं।
- इससे विकसित दक्षिणी राज्यों और उच्च जनसंख्या वाले उत्तरी राज्यों के बीच **दीर्घकालीन राजनीतिक असंतुलन** का खतरा है।

**One Nation, One Election (ONOE)**

- चुनावी चक्रों को एकरूप कर सकता है,
- लेकिन यह केंद्र में राजनीतिक शक्ति का संकेंद्रण बढ़ा सकता है।

- राज्यों की राजनीतिक विविधता और स्वायत्त अभिव्यक्ति कम हो सकती है।

ये विकसितियाँ सामूहिक रूप से भारत की संघीय संरचना को कमजोर कर सकती हैं।

---

**8. भारत के संघीय भविष्य के लिए मुख्य निष्कर्ष**

- संघवाद पर तनाव बढ़ रहा है, कारण राज्य नहीं, बल्कि **केंद्रीकृत राजनीतिक और वित्तीय शक्ति** का उभार है।
- भारत **सहकारी संघवाद** से **केंद्रीकृत या दमनकारी संघवाद** की ओर बढ़ रहा है।
- केंद्र–राज्य विवाद समाधान, वित्तीय वार्ता और संयुक्त शासन के लिए मजबूत संस्थागत तंत्र आवश्यक।
- संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए **अधिक विकेंद्रीकरण और संस्थागत नवाचार** जरूरी हैं।
- सुधारों का लक्ष्य ऐसा सहकारी संघवाद होना चाहिए, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों भारत की विकास प्रक्रिया में समान साझेदार हों।

**How to use it**

**भारतीय संघवाद पर बहस संविधान में शक्तियों के औपचारिक बंटवारे से हटकर अब उन राजनीतिक और राजकोषीय प्रथाओं के विश्लेषण पर केंद्रित हो गई है, जो केंद्र–राज्य संबंधों को आकार देती हैं। केंद्र में एक-दलीय प्रभुत्व के दौर ने केंद्रीकरण की प्रवृत्तियों को तेज किया है, जिससे भारतीय संघीय ढांचे की सहनशीलता की परीक्षा हो रही है और राष्ट्रीय एकता तथा क्षेत्रीय स्वायत्तता के बीच संतुलन को लेकर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं।**

---

**प्रमुख प्रासंगिकता: GS पेपर II (राजव्यवस्था, संविधान, सुशासन)**

---

**1. संघ और राज्यों के कार्य, दायित्व तथा संघीय ढांचे से संबंधित चुनौतियाँ**

**कैसे उपयोग करें:**

यह पूरे विमर्श का केंद्रीय विषय है और समकालीन संघीय तनावों का एक प्रभावी अध्ययन प्रस्तुत करता है।

**मुख्य बिंदु:**

**(a) सहकारी से दमनकारी संघवाद की ओर बदलाव**

लेख के अनुसार भारत *सहकारी संघवाद* (विशेषकर गठबंधन युग में) से *दमनकारी/केंद्रीकृत संघवाद* की ओर बढ़ रहा है। यह वर्तमान केंद्र–राज्य विवादों को समझने का महत्त्वपूर्ण वैचारिक ढाँचा है।

**(b) संस्थागत रिक्तता**

योजना आयोग को समाप्त कर NITI Aayog की स्थापना ने एक ऐसी संस्था का स्थान लिया है जिसमें वित्तीय अधिकार और राज्यों का प्रतिनिधित्व दोनों कमज़ोर हैं। इससे अंतर-सरकारी संवाद का एक प्रमुख मंच कमजोर हुआ है।

**(c) GST परिषद एक संघीय संस्था के रूप में**

GST को सहकारी संघवाद की मिसाल माना गया था, लेकिन व्यावहारिक रूप से छोटे और गरीब राज्यों की मोल-भाव क्षमता कमजोर रही है।
GST के बाद राजस्व निर्भरता बढ़ने से उनकी वित्तीय असुरक्षा भी बढ़ी है।

---

**2. स्थानीय स्तर तक शक्तियों एवं वित्त का विकेंद्रीकरण तथा उससे जुड़े चुनौतियाँ**

**कैसे उपयोग करें:**

राजकोषीय केंद्रीकरण (Fiscal Centralization) की प्रक्रिया को समझाने हेतु।

**मुख्य बिंदु:**

**(a) राजकोषीय केंद्रीकरण**

वित्त आयोग की सिफ़ारिशों से ऊर्ध्वाधर असंतुलन बढ़ने, तथा CSS (केंद्र प्रायोजित योजनाओं) के विस्तार से राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता सीमित हुई है।
राज्य अपनी स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुसार योजनाएँ नहीं बना पाते।

**(b) राज्य स्वायत्तता का क्षरण**

शर्तों से बंधे CSS फंड राज्यों को मात्र *कार्यान्वयन एजेंसियाँ* बनाकर रख देते हैं।
इससे नवाचार और स्थानीय निर्णय क्षमता कमज़ोर होती है।

---

**3. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ**

**कैसे उपयोग करें:**

संघवाद को चुनावी राजनीति से जोड़ने के लिए।

**मुख्य बिंदु:**

**(a) राजनीतिक केंद्रीकरण**

"वन नेशन, वन इलेक्शन (ONOE)" और परिसीमन (Delimitation) जैसे मुद्दे संघीय संरचना से सीधे जुड़े हैं।

- ONOE से राष्ट्रीय मुद्दों का वर्चस्व बढ़ सकता है और राज्य-विशिष्ट चिंताएँ पीछे छूट सकती हैं।
- मात्र जनसंख्या आधारित परिसीमन दक्षिणी राज्यों का दीर्घकालिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व घटा सकता है, क्योंकि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया है।

---

**4. विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण (Separation of Powers)**

**कैसे उपयोग करें:**

न्यायपालिका की भूमिका को संघीय मामलों के मध्यस्थ के रूप में प्रस्तुत करने हेतु।

**मुख्य बिंदु:**

राजनीतिक मंचों की कमजोरी के कारण केंद्र–राज्य विवादों का समाधान अक्सर **सुप्रीम कोर्ट** में होता है (जैसे—राज्यपालों की शक्तियाँ, वित्तीय वितरण)।

इससे न्यायपालिका पर संघीय संतुलन की रक्षा का अतिरिक्त बोझ पड़ता है।

---

**GS पेपर III (अर्थव्यवस्था) से संबंध**

**1. भारतीय अर्थव्यवस्था और संसाधनों का नियोजन, जुटान, विकास एवं रोजगार**

**कैसे उपयोग करें:**

राजकोषीय संघवाद के आर्थिक प्रभावों को समझाने हेतु।

**मुख्य बिंदु:**

**(a) पुनर्वितरण की राजनीति (Redistributive Politics)**

दक्षिणी "योगदानकर्ता" राज्यों और उत्तरी "प्राप्तकर्ता" राज्यों के बीच तनाव, पुनर्वितरण के संघीय मॉडल की स्थिरता पर प्रश्न उठाता है।

यदि पुनर्वितरण संरचनात्मक कमियों को दूर न करे, तो यह "Extractive Redistribution" बन जाता है।

**(b) विकास पर प्रभाव**

राज्यों के पास कम वित्तीय स्वतंत्रता होने से वे स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप विकास योजनाएँ नहीं बना पाते।

इससे आर्थिक विकास, बुनियादी ढाँचा निर्माण और रोजगार सृजन प्रभावित हो सकता है।

## "बिहार के सरकारी स्कूलों में जाति पहचान शिक्षकों के मूल्यांकन को प्रभावित करती है: IIM-बैंगलुरु अध्ययन"

---

**मुख्य निष्कर्ष**

IIM-बैंगलुरु के एक नए अध्ययन में पाया गया है कि **बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षक छात्रों की क्षमता का आकलन करते समय जाति-आधारित पूर्वाग्रह दिखाते हैं**, भले ही अलग-अलग जाति समूहों के छात्र मानकीकृत परीक्षाओं में समान प्रदर्शन करें।

---

**1. जाति से जुड़ा प्रबल पूर्वाग्रह**

- **विशेषकर सवर्ण (forward caste) शिक्षक**, पिछड़ी जाति (backward caste) के छात्रों को व्यवस्थित रूप से कम आँकते हैं।
- यह पूर्वाग्रह तब भी दिखाई देता है जब पिछड़ी जाति के छात्रों के वास्तविक अंक सवर्ण छात्रों के बराबर होते हैं।

---

**2. पूर्वाग्रह का तंत्रगत (systemic) रूप**

- जब जातिगत पहचान स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, तो शिक्षकों का यह कम आकलन एक **व्यवस्थित समस्या** बन जाता है।
- शिक्षक, उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत, **पिछड़ी जाति के बच्चों से कमजोर प्रदर्शन की ही अपेक्षा** रखते हैं।

---

**परिणाम (Consequences)**

---

**A. सीखने पर प्रभाव**

जाति-आधारित गलत मूल्यांकन से छात्रों पर दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं:

- शिक्षक–छात्र संपर्क की गुणवत्ता कमजोर होती है
- शैक्षणिक आत्मविश्वास में गिरावट
- रूढ़ियों की वजह से वास्तविक प्रदर्शन में कमी

---

**B. सामाजिक असमानता का पुनरुत्पादन**

जातिगत पूर्वाग्रह निम्नलिखित को बढ़ावा देता है:

- उपलब्धि अंतर (achievement gaps)
- शिक्षक अपेक्षाओं में भेदभाव
- कक्षा में **"Pygmalion Effect"** का पुनरुत्पादन:
  - **उच्च शिक्षक अपेक्षाएँ → बेहतर प्रदर्शन**
  - **निम्न शिक्षक अपेक्षाएँ → कमजोर प्रदर्शन**

**HOW TO USE IT**

**IIM-B अध्ययन यह दिखाता है कि गहरे सामाजिक पूर्वाग्रह (जाति) कैसे औपचारिक संस्थानों (स्कूलों) में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे सामाजिक असमानता मिटने के बजाय और मजबूत होती है। यह बताता है कि असमानता केवल आर्थिक पहुँच का प्रश्न नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था के भीतर निहित पूर्वाग्रहों और तंत्रगत भेदभाव के माध्यम से निरंतर पुनरुत्पादित होती रहती है।**

---

**मुख्य प्रासंगिकता: GS Paper I (समाज) एवं GS Paper II (सामाजिक न्याय, शासन)**

---

**1. GS Paper I: भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएँ, भारत की विविधता**

**कैसे उपयोग करें:**

यह अध्ययन आधुनिक भारतीय समाज में जाति की निरंतर उपस्थिति का समाजशास्त्रीय प्रमाण प्रस्तुत करता है।

**मुख्य बिंदु:**

● **जाति की निरंतरता**

अध्ययन साबित करता है कि जाति केवल अतीत की सामाजिक संरचना नहीं है; यह आज भी सामाजिक बातचीत और धारणा को निर्धारित करती है—यहाँ तक कि स्कूल जैसे आधुनिक और "प्रगतिशील" स्थानों में भी।

● **सामाजिक पुनरुत्पादन**

जिस शिक्षा तंत्र को समाज में समानता लाने वाला माध्यम माना जाता है, वही **सामाजिक असमानता को पुन: उत्पन्न** करने वाला तंत्र बन रहा है।
शिक्षकों के जातिगत पूर्वाग्रह marginalized समुदायों के बच्चों को अपना "स्थान" स्वीकार करने पर मजबूर करते हैं, जिससे जाति-आधारित पदानुक्रम पीढ़ियों तक बना रहता है।

---

**2. GS Paper II: कमजोर वर्गों के लिए कल्याण योजनाएँ और सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं का प्रबंधन**

**कैसे उपयोग करें:**

इसे शिक्षा व्यवस्था की **समान अवसर प्रदान करने में विफलता** के उदाहरण के रूप में दिखाया जा सकता है।

**मुख्य बिंदु:**

● **समावेशी शिक्षा की विफलता**

RTE जैसे कानून **केवल पहुँच** (access) पर ज़ोर देते हैं—स्कूल, कक्षाएँ, नामांकन।
परंतु यह अध्ययन बताता है कि **पहुंच बराबर शिक्षा नहीं बनाती**।
शिक्षकों का पूर्वाग्रह शिक्षा की गुणवत्ता और अनुभव को गहराई से प्रभावित करता है।

● **शासन एवं कार्यान्वयन की कमी**

यह समस्या नीतियों की नहीं बल्कि **कार्यान्वयन के मानवीय पहलू** की है।
शिक्षक प्रशिक्षण, संवेदनशीलता, और क्षमता विकास शासन की प्राथमिकता नहीं बन पाए हैं—यही शिक्षा-शासन का सबसे बड़ा अंतराल है।

---

**3. GS Paper II: कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए तंत्र, कानून और संस्थाएँ**

**कैसे उपयोग करें:**

सूक्ष्म और रोज़मर्रा के भेदभाव से निपटने में कानूनों की सीमाएँ दिखाने के लिए।

**मुख्य बिंदु:**

● **कानूनी सुरक्षा की सीमाएँ**

संविधान (अनुच्छेद 17) अस्पृश्यता समाप्त करता है और समानता को बढ़ावा देता है।
लेकिन यह अध्ययन बताता है कि पूर्वाग्रह **अवचेतन स्तर** पर काम करते हैं—
ऐसे पूर्वाग्रह जिन्हें कानून से नियंत्रित नहीं किया जा सकता।

इसलिए वास्तविक चुनौती मानसिकता में बदलाव की है।

---

**अन्य पेपरों से लिंक**

---

**GS Paper IV (नैतिकता, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि)**

- **निष्पक्षता और निरपेक्षता**

अध्ययन यह दर्शाता है कि सरकारी शिक्षक—जो सार्वजनिक सेवक हैं—निष्पक्षता नहीं बरतते।
उनका निर्णय जातिगत निष्ठाओं और पूर्वाग्रहों से प्रभावित होता है।

- **भावनात्मक बुद्धिमत्ता**

कम सहानुभूति और सामाजिक जागरूकता वाले शिक्षक
एक **समावेशी एवं सुरक्षित सीखने का वातावरण** नहीं बना पाते।
इससे बच्चों के आत्म-सम्मान और भावनात्मक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

- **दृष्टिकोण (Attitude)**

अध्ययन बताता है कि समाज में गहराई से जड़े जातिगत दृष्टिकोण सीधे व्यवहार को प्रभावित करते हैं—विशेषकर बच्चों के साथ व्यवहार को—जो उनके शैक्षणिक भविष्य को प्रभावित करता है।